भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *192

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत लाभ

***192. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की विशेषरूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई नई स्वास्थ्य योजनाएं शुरू करने अथवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) जैसी मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत बीमा कवरेज में वृद्धि करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत प्रीमियम दरों और लाभों तथा पीएमजेएवाई के अंतर्गत नामांकन के मानदंड की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि देश में विशेषकर केरल में सभी पात्र नागरिक बिना किसी बाधा के इस योजना में शामिल हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पीएमजेएवाई के अंतर्गत नए लाभार्थियों के नामांकन को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने अथवा उन्नयन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

01 अगस्त, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.192 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमज़ोर निचले 40% हिस्से वाले 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। अक्टूबर 2024 में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, को वय वंदना कार्ड के माध्यम से शामिल करके इस योजना का और विस्तार किया गया।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, योजना के शुभारंभ के बाद से स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को संशोधित और युक्तिसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) 2022 में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,961 प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्रता मानदंड में समय के साथ बदलाव आया है। जनवरी 2022 से, एबी-पीएमजेएवाई के लाभार्थी आधार को 10.74 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 12 करोड़ परिवार कर दिया गया है, और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल वाले अन्य आधार-आधारित डेटाबेस का उपयोग करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। मार्च 2024 में, इस योजना के तहत पात्रता मानदंडों का विस्तार करके 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत, आयुष्मान वय वंदना कार्ड एक प्रकार का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना को शुरू करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसियां हैं।

लाभार्थियों को योजना में नामांकन कराने के लिए एक समर्पित आयुष्मान ऐप और वेब पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) बनाया गया है। एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (14555) भी सहायता प्रदान करने के लिए है और यह योजना से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करता है। लाभार्थी किसी भी पैनलबद्ध अस्पताल में अपना कार्ड बनवा सकते हैं।

योजना के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) तैनात किए गए हैं। लाभार्थियों के बीच जागरूकता और समग्र सहायता, कार्ड निर्माण में सहायता और लाभों का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में पीएमजेएवाई कियोस्क भी स्थापित किए गए हैं।

आदिनांक, देश भर में इस योजना के तहत 41 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें केरल राज्य में बनाए गए 83.75 लाख आयुष्मान कार्ड भी शामिल हैं।

*****